

संख्या 4-2/2015-बीपी-2

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक 7 सितम्बर, 2015

कार्यालय जापन

विषय : मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएम) के अंतर्गत वर्ष 2015-16 के लिए 1.10.2015 से 31.03.2016 की अवधि तक खाद्यान्नों के आवंटन के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 29.01.2015 के समसंख्यक आवंटन आदेश के अनुक्रम में मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के दिनांक 24.08.2015 के का० जा० संख्या एफ-5-1/2015-डेस्क (एमडीएम) का हवाला देने तथा मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों के लिए लागू केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत वर्ष 2015-16 की तीसरी और चौथी तिमाही (अक्टूबर, 2015 से मार्च, 2016) के लिए 13,88,616.46 टन खाद्यान्नों जिसमें 2,36,608.81 टन गेहूँ तथा 11,52,007.65 टन चावल शामिल हैं, के अनंतिम आवंटन के संबंध में इस विभाग का अनुमोदन सूचित करने का निदेश हुआ है।

2. खाद्यान्नों की लागत जमा करने तथा उठान की वैधता अवधि मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी।
3. मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग भारतीय खाद्य निगम तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों की आबंटित मात्रा के राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार आबंटन की सूचना भी यथासमय प्रेषित करे तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निर्धारित वैधता अवधि के भीतर खाद्यान्नों का उठान सुनिश्चित करे।
4. भारतीय खाद्य निगम, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा 2015-16 के लिए राज्य-वार मासिक आबंटन के अनुसार गेहूँ और चावल जारी करेगा।
5. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से अनुरोध है कि वह वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर वर्ष 2015-16 के लिए मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत उन्हें आबंटित खाद्यान्नों के संबंध में संबंधित निदेशक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित समेकित उपयोगिता प्रमाणपत्र निर्धारित जीएफआर-19 ए प्रारूप में प्रस्तुत करें।
6. स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय यह सुनिश्चित करें कि इस स्कीम के अंतर्गत उसके द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी खाद्यान्नों के संबंध में भारतीय खाद्य निगम को पूर्ण भुगतान किया जाता है तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा उसे यथा समय उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाते हैं। उनसे यह भी अनुरोध है कि भारतीय खाद्य निगम को बकायों का भुगतान अविलम्ब करे क्योंकि भारतीय खाद्य निगम भुगतान न की गई बकाया राशि पर ब्याज की भारी राशि वहन करता है।

असित

(असित हलदर)

अवर सचिव, अवर सचिव

दूरभाष: 23382504

सेवा में,

मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
(श्री गया प्रसाद, निदेशक (एमडीएम))
शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

सूचनार्थ प्रति:

1. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली।
2. महा प्रबंधक (बिक्री), भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली।
3. अवर सचिव (बीपी-3)/गार्ड फाइल।